भोमाराम पुत्र दुर्गाराम जाति भील निवासी खोखसर पूर्व, तहसील गिडा जिला बालोतरा।

अपीलाण्ट...

ब
ना
म

1. पाबूराम पुत्र दुर्गाराम
2. हरियो पत्नी दुर्गाराम जाति भील निवासी खोखसर पूर्व, तहसील गिड़ा जिला बालोतरा (राजस्थान)।
3. ओबाराम पुत्र फुलाजी जाति भील निवासी बागरा तहसील जालोर।
4. खेराजराम पुत्र बीजलाराम जाति भील निवासी सोभोणियों की ढाणी, तहसील व जिला बाड़मेर।
5. पपू देवी पत्नी तगाराम
6. राधा कुमारी पुत्री तगाराम जाति भील निवासी तैना तहसील शेरगढ जिला जोधपुर।
7. देवाराम पुत्र चौथाराम
8. ओमाराम पुत्र चौथाराम
9. सोनाराम पुत्र शंकराराम
10. बाबूराम पुत्र शंकराराम फौत के कायम मुकामः—
    - 10.1. राणाराम पुत्र बाबूराम
    - 10.2. महेन्द्र पुत्र बाबूराम
    - 10.3. मुमो पत्नी बाबूराम
11. रूगाराम पुत्र शंकराराम
12. सुमेर पुत्र शंकराराम
13. फुली पत्नी शंकराराम
14. आम्बाराम पुत्र खेतीया
15. गेना पुत्र खेतीया फौत के कायम मुकामः—
    - 15.1. गुली पत्नी गेना
    - 15.2. केशाराम पुत्र गेनाराम
    - 15.3. दलपत उर्फ दपिया पुत्र गेना
    - 15.4. गजा पुत्र गेना
    - 15.5. भोमा पुत्र गेना
    - 15.6. कमला पुत्री गेना
16. भीखा पुत्र खेतीया
17. पन्नाराम पुत्र खेतीया
18. पांचा पुत्र धुडाराम (धुडीया) फौत के कायम मुकाम—
    - 18.1. देऊ पुत्री पांचाराम
19. लिखमाराम पुत्र धुड़ीया
20. बिजलाराम उर्फ बीजा पुत्र धुड़िया फौत के कायम मुकाम—
    - 20.1. ढला पुत्री बिजला
    - 20.2. देवा पुत्र बिजला
    - 20.3. अणसी पत्नी बिजला
21. फुसाराम पुत्र सुरताराम
22. डुंगराराम पुत्र सुरताराम
23. गजाराम पुत्र सुरताराम
24. लेहरो पत्नी सुरताराम
25. पाबूराम पुत्र पूनाराम
26. रेवताराम पुत्र पूनाराम
27. उदाराम पुत्र पूनाराम
28. हपिया पुत्र पूनाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

29. अगरो पत्नी पूनाराम
30. गुणेशाराम पुत्र ज्वाराराम
31. गुलाबाराम पुत्र ज्वाराराम
32. गोकलाराम पुत्र रूपाराम
33. चनणाराम पुत्र ज्वारा राम
34. भालाराम पुत्र ज्वाराराम
35. मदन पुत्र उतमाराम
36. रमेश पुत्र उतमाराम
37. धनी पत्नी उतमाराम
38. भोमाराम पुत्र बुधाराम
39. हुकमाराम पुत्र बुधाराम
40. धापू पत्नी बुधाराम
41. सन्तोष पत्नी हमीराराम
    जातियान भील निवासीयान खोखसर पूर्व, तहसील गिड़ा जिला बालोतरा (राजस्थान)।
42. तहसीलदार गिड़ा

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर बायतु दिनांक 11 फरवरी 2025 राजस्व वाद संख्या 29/2021 भोमाराम बनाम पाबूराम इत्यादि

———— 0 ————

उपस्थित–
श्री श्रवण कुमार चौधरी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या पांच व छः

नि र्ण य

दिनांक : 04 फरवरी 2026

अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2021 भोमाराम बनाम पाबूराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 11 फरवरी 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 20 जून 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम वास्ते अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने बाबत प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 1621 रकबा 138.08 बीघा ग्राम खोखसर पूर्व तहसील गिड़ा को अपनी पुश्तैनी भूमि बताते हुए वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 207, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 05, व 06 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादी का वाद खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया कि वादी एव विप्रार्थीगण संख्या 1 व 2, 7 से 40 भील अनुसूचित जनजाति से होकर एक ही कबीले के सदस्य पूर्व पुरुष स्व. अणदाराम के वंशज व वारिसान हैं। जिनकी पुश्तैनी व संयुक्त खातेदारी की भूमि खेत खसरा संख्या 1621 रकबा 138.08 बीघा ग्राम खोखसर पूर्व वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2) का खातेदारी हिस्सा 1/2 एवं शेष हिस्सा 1/2 प्रतिवादी संख्या 7 से 41 का विरासत के आधार पर कायम हुआ, जिसमें वादी का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6. प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 वादी का बड़ा भाई व प्रतिवादी संख्या 2 वादी की माता है। इनके द्वारा भू–माफियाओं के प्रभाव में आकर तहसील क्षेत्र गिडा से बाहर जाकर तहसीलदार पचपदरा एवं उप पंजीयक पचपदरा में जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 1621 रकबा 138.08 बीघा का हिस्सा 1/2 में से 65 बीघा भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 ओबाराम जालोर निवासी के पक्ष में दिनांक 26.11.2007 को कर दिया और हल्का पटवारी ने बेचान के 5 वर्ष बाद में तहसीलदार गिडा के आदेश से दिनांक 07.07.2012 को म्यूटेशन संख्या 299 खोला। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 3 ओबाराम ने पुनः भूमि का आगे बेचान प्रतिवादी संख्या 4 खेराजराम को कर दिया, जिसका म्यूटेशन संख्या 390 खोला। उसके बाद पुनः प्रतिवादी संख्या 4 खेराजराम ने उक्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को हिस्सा क्रमशः 700/2768 पपू देवी पत्नी तगाराम को व 600/2768 हिस्सा राधा कुमारी पुत्री तगाराम को बेचान कर दिया, जिस पर म्यूटेशन संख्या 494 खोला गया। उक्त खरीददारों में से किसी के द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कब्जा प्राप्त नहीं किया गया, वादी को प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के पक्ष में बेचानों व नामान्तरकरण संख्या 299, 390 व 494 का ज्ञान नहीं था। जब अपने हिस्से की भूमि सीमा तक का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए हल्का पटवारी से सम्पर्क कर भूमि रिकॉर्ड की नकलें प्राप्त की तो हल्का पटवारी ने बताया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी भूमि रकबा 4.04 बीघा ही है, जिस पर भूमि कम होने का कारण पूछने पर प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के पक्ष में पारित नामान्तरकरण संख्या 299, 390 व 494 से भूमि बेचान होना बताया तथा वकील के मार्फत रजिस्ट्री बेचान व नामान्तरकरण की नकलें प्राप्त की, जिस पर वादी को ज्ञान हुआ कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा वादी के नाबालिग रहते हुए अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान वादी के हिस्से सहित कर दिया। वादी के द्वारा म्यूटेशन संख्या 299. 390 व 494 को अपने हक हकूकों की सीमा तक शून्य व प्रभावहीन घोषित करवाकर वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा अपना खातेदारी का घोषित करवाने का वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया, जिस पर नोटिस जारी होकर तलबी पूर्ण होने पर दिनांक 04.08.2021 को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से वकील ने

राजस्व अपील प्राधिकारी

वकालतनामा पेश किया और दिनांक 09.12.2021 को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी का आवेदन पेश किया, जिसकी प्रति वादी को दिनांक 24.01.2022 को दी गई जिस पर वादी के द्वारा दिनाक 19.09.2022 को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी प्रार्थना पत्र का जवाब दिया और बहस सुनी गई, पुनः दिनांक 08.01.2025 को मादी वकील ने आदेश 7 नियम 11 की लिखित बहस पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.02.2025 को वादी के वाद पत्र को रजिस्टर्ड बेचान को सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं करवा लिया जाता, तब तक वादी द्वारा पेश वाद चलनेयोग्य नहीं मानते हुए वादपंत्र को खारिज कर दिया। यह उल्लेखनीय है कि वादी का दावा खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है, इसलिये वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 के खण्ड ए से एफ मे वर्णित 6 आधारो मे से किसी भी आधार से वाद खारिज होने योग्य नहीं है, क्योकि वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष वादग्रस्त कृषि भूमि मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित है, जिसको सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालयो को है। वादग्रस्त भूमि मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपने हिस्से से अधिक की भूमि का बैचान किया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बिना किसी कारण के वादी के हिस्से की भूमि को बेचने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान कर अपने पक्ष में गलत रूप से नामान्तरण खुलवाये है। ऐसे गलत नामान्तरकरणो के आधार पर वादी को इस भूमि मे विधि द्वारा प्रदत्त अधिकार खत्म नहीं हो जाते है। वादी ने इस वाद में प्रतिवादी द्वारा किये गये बेचानों व उनके संदर्भ मे भरे गये नामान्तरकरणो को वादी के हक–हकुको की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी कराने का अनुतोष चाहा है। यह अनुतोष देने का राजस्व न्यायालय को अधिकार है। वादी का दावा सम्पूर्ण विक्रय विलेख को निरस्त करने का नहीं है, बल्कि वादी का दावा कृषि भूमि मे अपने हक–हकुको की सीमा तक बेचान को शून्य व निष्प्रभावी घोषित कराने का है। वादी ने सम्पूर्ण बेचान को निरस्त कराने की इस्तदुआ नहीं चाही है। वादी ने अपना वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88,91,207 व 188 के तहत पेश कर अपने हक व हिस्से की पैतृक भूमि मे खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में पेश किया है, जिसको सुनने का अधिकार केवल राजस्व न्यायालय को है, यदि कोई व्यक्ति अपने हक व हिस्से से ज्यादा की भूमि का बेचान करता है तो दस्तावेज शुरू से ही शुन्य व अवैध है, चाहे दस्तावेज रजिस्टर्ड हो, उसे दीवानी न्यायालय से निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे दस्तावेज से अन्य व्यक्तियो का हक व हिस्सा प्रभावित नहीं माना जा सकता। ऐसे दस्तावेज को निरस्त करवाये बिना भी राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि मे हक व हिस्सा तक कर सकता है। इसके लिए पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करवाया जाना आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध मे माननीय राजस्व मण्डल ने आरबीजे 2023 पेज 106 धनराज बनाम रतन कुमार में यह भी निर्धारित किया है कि 'राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 धारा 88 व 188 वादी ने अपने हक व हिस्से की पैतृक भूमि के बाबत् घोषणा व बेदखली का वाद प्रस्तुत किया जिसको सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है। यदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

कोई व्यक्ति अपने हक व हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान करता है तो दस्तावेज शुरू से ही शून्य व अवैध है। चाहे दस्तावेज रजिस्टर्ड हो इसे दीवानी न्यायालय से निरस्त करने की आवश्यकता नहीं है।' हस्तगत वाद मे भी वादी ने अपने हक व हिस्से की भूमि के बाबत् घोषणा व बेदखली का वाद पैतृक भूमि मे अपना हिस्सा मानते हुए प्रस्तुत किया है, जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। यदि कोई व्यक्ति अपने हक व हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान करता है तो ऐसा दस्तावेज चाहे व पंजीकृत हो प्रारंभ से ही शून्य व अवैध होता है। ऐसे दस्तावेज से अन्य व्यक्तियो को हक व हिस्सा प्रभावित नहीं माना जा सकता। ऐसे दस्तावेज को निरस्त कराये बिना भी राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि मे हक व हिस्सा तय कर सकता है इसके लिये पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त कराया जाना आवश्यक नहीं है। साथ ही यह अभिनिर्धारित किया कि 'सिंविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 7 नियम 11 यदि वाद पत्र मे अंकित तथ्यो के आधार पर वाद पत्र बार्ड बाई लॉ है तो दावा निरस्त किया जा सकता है, लेकिन अगर वाद पत्र मे कथन किया है कि उसके आधार पर श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को है तो विचारण न्यायालय दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम करके सुनवाई का अवसर देकर वाद का निर्णय पारित करेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 07 नियम 11 के तहत न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखने के लिए दावे का सार–तल (Pith and Substance) देखना चाहिए। इस वाद का सारतल (Pith and Substance) यह है कि वादी का वाद वादग्रस्त भूमि मे अपना 1/6 हिस्सा घोषित कराने का है। हस्तगत प्रकरण मे जब प्रतिवादी संख्या 01 से 02 ने बिना वादी की जानकारी मे लाये बिना वादी एवं उसके परिवार की आवश्यकता मे वादी के हितों की अनदेखी कर वादग्रस्त आराजी मे वादी के हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 03 को कर दिया, प्रतिवादी संख्या 03 ने आगे उक्त भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 04 को कर दिया ओर प्रतिवादी संख्या 04 ने आगे इसका बेचान प्रतिवादी संख्या 05 व 06 को कर दिया, जिससे वादी का वाद कारण उत्पन हुआ। इसलिए राजस्व न्यायालय इस वाद मे अनुतोष दे सकता है। इसलिए यह वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। इस वाद मे वादी का दावा खातेदारी घोषणा इन्द्राज दुरस्ती एवं वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित बेचान एवं उनके सम्बन्ध मे स्वीकृत नामान्तरण को वादी के हक–हकुको की सीमा तक शून्य व निष्प्रभावी घोषित कर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का है तथा विकय पत्र को वादी के कानूनी खातेदारी अधिकारो के मुकाबले वादी के हक–हकुको की सीमा तक शुन्य व निष्प्रभावी घोषित करने का चाहा है। वादी का यह वाद अपनी पैतृक भूमि मे उसके खातेदारी अधिकारो के घोषणा के सम्बन्ध मे है, इसलिय उसके हिस्से की सीमा तक के विकय पत्र प्रभावहीन व शून्य है। इसलिए सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। वादी रातस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अन्तर्गत वादग्रस्त पैतृक भूमि मे अपना दावा लाने का अधिकारी है, वादी क्लीन हैण्ड (Clean hand) से न्यायालय मे आया है। इस सम्बन्ध मे माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आरजेबी 2024 पेज 459 अनवान नारायणसिंह बनाम हंजारी बाई मे यह निर्धारित किया है कि 'सिविल प्रक्रिया संहिता 1908

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

आदेश 7 नियम 11 न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखते के लिए दावे का सारतल (Pith and substance) देखना चाहिए। इस वाद का सारतल (Pith and substance) यह है कि वादीगण का वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे, चिरमोला ने सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम दर्ज करवा ली व इसका परसराम को बेचान कर दिया इसलिये वादीगण को वाद कारण उत्पन हुआ, राजस्व न्यायालय इस वाद मे अनुतोष (Relief) दे सकता है। इसलिये वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति की संयुक्त खातेदारी भूमि है, जिसमें अपीलाण्ट ने अपना 1/6 हिस्सा घोषित करने की मांग करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा सबंधी राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 207 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वाद है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 में वादी के खातेदारी अधिकारों के हक की घोषणा का वाद किसी समय (बिना म्याद) के पेश करने का विधिक प्रावधान है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विधिक प्रावधानों की घोर अवहेलना करते हुऐ मात्र आर्डर शीट निर्णय लिख कर बिना डिक्री जारी किए वादी का वाद खारिज कर दिया। इस सम्बन्ध मे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आरबीजे 2023 पेज संख्या 604 रतनलाल बनाम कानाराम मे यह भी निर्धारित किया है कि 'सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 7 नियम 11 व राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955 धारा 207 (1) जिस वाद मे राजस्व न्यायालय का क्षेत्राधिकार है वहीं अनुतोष दे सकती है, उसे दीवानी न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए। जब तक राजस्व न्यायालय द्वारा कृषि भूमि के अधिकारो बाबत् निर्णय नहीं कर देता, तब तक दीवानी न्यायालय द्वारा दस्तावेज को निरस्त करने बाबत् निर्णय नहीं ले सकता। कृषि भूमि के विभाजन बाबत् वाद दीवानी न्यायालय मे नहीं चल सकता। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आरआरटी 2022 (2) पेज संख्या 1059 शंकरलाल बनाम भंवरलाल मे यह भी निर्धारित किया कि खातेदारी अधिकारो की घोषणा हेतु म्याद प्रदत्त नहीं है। विवाद को निर्णित करने हेतु साक्ष्य अभिलिखित करना आवश्यक है। विधि अनुसार किसी नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक को कानूनन नाबालिग की पैतृक सम्पति के किसी भी हिस्से को गिरवी रखने, बेचने, उपहार में देने या किसी अन्य तरीके से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं है और न अदालत की पूर्व अनुमति के बिना ऐसी सम्पति के किसी हिस्से को 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए या नाबालिग के बालिग होने की तिथि से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पट्टे पर देने का अधिकार है। हिन्दु अल्पसख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत दिए गए किसी भी तरीके से नाबालिग की सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने के लिए नाबालिग के अभिभावक के लिए अदालत की पूर्व–अनुमति अनिवार्य है। लेकिन इस प्रकरण में सपति का हस्तांतरण करने से पूर्व अदालत से अनुमति नही ली गई जो हिन्दु अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) का स्पष्ट उल्लघन है। चूंकि वादग्रस्त संपति पैतृक संपति है व इसमे वादी का हित निहित है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय ने अपने कई न्यायिक दृष्टान्तो मे यह निर्धारित किया है कि हिन्दु अल्पसख्यक

राजस्व अपील प्राधिकारी

एवं सरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत दिए गए किसी भी तरीके से नाबालिग की सम्पत्ति को हस्तान्तरित करने के लिए नाबालिग के अभिभावक के लिए अदालत की पूर्व–अनुमति अनिवार्य है। लेकिन इस प्रकरण में सपति का हस्तातरण करने से पूर्व अदालत से अनुमति नही ली गई जो हिन्दु अल्पसंख्यक एवं संरक्षकता अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना वादपत्र के अवलोकन से ही रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2025 को निरस्त किया जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या पांच व छः ने कथन किया कि रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजीयात के पंजीबद्ध विक्रय विलेख के जरिये रेकर्डेड खातेदार है तथा वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कोई कब्जा काश्त नहीं है। अपीलांट्स द्वारा उक्त वाद के जरिये अपने अपनी माता द्वारा 19 वर्ष पूर्व बेचान की गई भूमि के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। यह उल्लेखनीय है कि वादी अपनी अव्यस्कता के आधार पर बेचान पत्र को निरस्त करवाना चाहता है तो उसे अपनी व्यस्तकता प्राप्ति की तीन वर्ष की अवधि के भीतर सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर बेचाननामा को निरस्त करवा सकता था। कानूनन पंजीबद्ध दस्तावेज को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में किसी प्रकार के अधिकार नहीं रखते है। राजस्व न्यायालय को पंजीबद्ध दस्तावेज की वैधता पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने का श्रवणाधिकार नहीं है। वादग्रस्त आराजीयात पर वर्तमान में रेस्पो. काबिज काश्त है। अपीलांट द्वारा रेस्पो./रेकर्डेड खातेदारान् को परेशान करने की नियत से गलत तथ्यों के आधार पर बिना वादकरण के ही वाद प्रस्तुत किया गया है जो वाद विधि द्वारा वर्जित है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादी का वाद विधिबाधित पाये जाने पर विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। वादीगण के वादपत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के मुताबिक वादी/अपीलांट के की माता हरिया द्वारा द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेजात दिनांक 26.11.2007 के जरिये वादग्रस्त आराजीयात <u>प्रतिवादीगण/रेस्पो.</u> संख्या तीन को बेचान की गई, जिससे प्रतिवादी संख्या तीन का पंजीबद्ध दस्तावेज के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात में उसका नाम दर्ज किया गया है। प्रतिवादी संख्या तीन द्वारा तीन द्वारा वादग्रस्त आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रतिवादी संख्या चार को तथा तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या चार द्वारा वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या पांच व छः को बेचान किये जाने पर पंजीबद्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रतिवादी संख्या पांच व छः का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है।

अपीलांट का कथन है कि उसकी माता प्रतिवादी संख्या दो द्वारा उसके अव्यस्कता के दौरान वादग्रस्त आराजीयात का बेचान किया गया है। इस संबंध में विधि में प्रावधान है कि किसी नाबालिग के हक व अधिकार की भूमि उसके प्राकृतिक संरक्षक द्वारा विक्रय कर दी जाती है तो वह व्यक्ति बालिग होने के बाद तीन वर्ष की अवधि के भीतर सक्षम सिविल न्यायालय में चाराजोही कर वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकता है। पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 26.11.2007 में अपीलांट की उम्र 11 वर्ष अंकित है। अपीलांट द्वारा बालिग होने के पश्चात उक्त विक्रय विलेख के संबंध में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई है। यह उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजीयात निरंतर हस्तांतरित होती रही है तथा क्रेतागण पंजीबद्ध दस्तावेज के जरिये वादग्रस्त आराजीयात के रेकर्डेड सहखातेदार दर्ज है। कानूनन वादी उक्त बेचाननामों को सक्षम सिविल न्यायालय से अपने हक–हिस्से तक निरस्त करवाये बिना वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार नहीं रखता है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाये जाते से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर बायतु द्वारा राजस्व वाद संख्या 29/2021 भोमाराम बनाम पाबूराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2025 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
राजस्व अपील अधिकारी, बाड़मेर